

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

जाँच-सूची  
सेवानिवृत्त पेन्शन

1. सेवानिवृत्त का नाम .....
2. अन्तिम इकाई का नाम.....
3. सेवा निवृत्त के समय का पद.....
4. जन्म तिथि.....
5. अहंकारी सेवा का विवरण :-
  - (1) एक्स लाइसेंसी की सेवा अवधि .....
  - (2) परिषदीय सेवा अवधि.....
7. क्या सेवा-निवृत्तक ई.पी.एफ. का सदस्य रहा है ? ..... /नहीं.....
  - (1) ई.पी.एफ. का लेखा नम्बर .....
  - (2) ई.पी.एफ. में (फार्म "के" अनुसार) सेवानिवृत्त सेवा नियोजक अंश.....
  - (3) क्या नियोजन का अंश परिषदीय खाते में जमा हो गया है, हों रूपया.....
8. सेवा विवरण :-
  - (1) 20 वर्ष की आयु से पूर्ण की सेवा .....
  - (2) बिना वेतन के अवकाश अवधि .....
  - (3) असत्यापित सेवार्य .....
  - (4) निलम्बन की अवधि (यदि कोई हो) .....
  - (5) सेवा व्यवधान की स्थिति .....
9. (1) अनन्तिम पेंशन की धनराशि .....
- (2) अनन्तिम आनुतोषिक की धनराशि .....
10. पृष्ठ संख्या जिन पर निम्न प्रपत्र उपलब्ध है :-
  - (1) भाग - 1 ..... पूर्ण/अपूर्ण
  - (2) भाग - 2 ..... पूर्ण/अपूर्ण
  - (3) भाग - 3 ..... पूर्ण/अपूर्ण
  - (4) भाग - 4 ..... पूर्ण/अपूर्ण
  - (5) भाग - 5 (अ) ..... पूर्ण/अपूर्ण
  - (6) संलग्नक 1 (बन्ध-पत्र अदेयता प्रमाण-पत्र हेतु).....
  - (7) संलग्नक 2 (बन्ध-पत्र पारिवारिक प्रमाण-पत्र हेतु).....
  - (8) संलग्नक 3 (शपथ पत्र) .....
  - (9) प्रपत्र-2 ..... वसूली की राशि .....
  - (10) अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र .....
  - (11) चिकित्सा प्रमाण-पत्र (यदि पेंशन अयोग्यता हेतु दावा है) .....
  - (12) पेंशनरी लाभों के पक्ष के विकल्प (परिदेष्टादेश संख्या 6755 दिनांक 17.2.82 के अन्तर्गत मूल रूप में) .....
  - (13) वाणिज्यिक संस्था में कार्य न करने की घोषणा-पत्र (531 बी) सी.एस.आर. के अन्तर्गत .....
  - (14) कारपोरेशन/निगम में आवास रिक्त करने का प्रमाण-पत्र .....
  - (15) महास्तार का ऋण अदेयता प्रमाण-पत्र..... वसूली की धनराशि .....
  - (16) फार्म "सी".....
    - (अ) अहंकारी सेवार्य.....
    - (ब) प्रतिनियुक्त की अवधि की वसूली.....
    - (स) अन्य वसूली.....
  - (17) सी.एस.आर. के अनुच्छेद 470 (बी) के अन्तर्गत परिषदीय स्वीकृति .....
11. वसूली की कुल धनराशि बिन्दु 10 (9) + (15).....
12. सेवा पुस्तिका संलग्न है/ नहीं है (उप संख्या) .....
13. क्या वेतन निर्धारण की जाँच उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गई .....
14. पेन्शन आहरण का खण्ड .....
15. क्या राशिकारण चाहते हैं ?      हों/ नहीं      राशिकारण का भाग व धन .....
- सहा. लेखाकर      सहायक लेखाधिकारी (पेंशन)      लेखाधिकारी (पेंशन)